न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आ०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 09/2017

दायर दिनांक – 12/01/2017

निर्णय दिनांक – 02/05/2018

अनवान

1. गोपाल लाल पिता नानूराम तेली निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. छोगालाल पिता वरदा गाडरी निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा
2. शंकरलाल पिता वरदा गाडरी निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा
3. गंगाबाई पिता भेरा पत्नि चुन्नीलाल गाडरी निवासी जुणदा हाल निवासी नया दरीबा तहसील रेलमगरा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील रेलमगरा

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा कि प्रस्तुत किया कि ग्राम रामपुरिया मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 3 के सयुंक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 142 रकबा 09–02 बिघा मौजुद है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं जस्सु पिता भेरा, गंगा बाई पत्नि भेरा, देउ पत्नि स्व. भेरा तथा छोगालाल , शंकरलाल पिता वरदा के सयुंक्त खातेदारी नाम से दर्ज है। प्रमाण नकल जमांबदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा होकर 1/3 हिस्से मे जसु पिता भेरा , गंगा बाई पिता भेरा व देउ पत्नि स्व. भेरा का नाम दर्ज है।तथा शेष 1/3 हिस्से मे छोगालाल, शंकरलाल पिता वरदा का नाम दर्ज है। जिनमें से जसु पिता भेरा की लाओलाद मृत्यु हो जाने से एंव देउ पत्नि स्व.

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

भेरा की भी मृत्यु हो जाने से दोनो के विधिक वारिसान् के रूप में गंगा बाई पिता भेरा ही मौजुद होने से गंगा बाई अकेली को ही इस वाद मे 1/3 हिस्से के रूप मे पक्षकार जोडा गया है। वादग्रस्त भूमि सयुंक्त खातेदारी आधिपत्य की होकर मौके पर उक्त भूमि तीन बराबर हिस्सों मे बंटी होकर तीनों पक्षकारान् का अलग अलग आधिपत्य होकर कब्जे काश्त मे चली आ रही है। वादी ने उक्त भूमि अरूण कुमार पिता अजुर्नलाल जी बोहरा निवासी कुरज से पंजीकृत विक्रयपत्र के जरिये क्रय की जिसके पडोस पूर्व में जुणदा की सीमा , पश्चिम में नारायण गाडरी व अन्य का तथा उत्तर में आम रास्ता एवं जुणदा की सीमा एवं दक्षिण में वरदा भेरा पिता काना का खेत व घासी लेहरू छगना की भूमि स्थित है। उक्त पडोसियों के बीच की भूमि वादी ने साधिकार प्रतिफल राशि अदा कर क्रय कि जिसका पंजीकृत विक्रयपत्र दिनाक 12/04/2016 को उप पंजियक महोदय रेलमगरा में निष्पादित कराया गया। प्रमाण मे पंजीकृत विक्रयपत्र की फोटो प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वर्तमान मे उक्त भूमि हिस्से के अनुसार एंव कब्जे अनुसार तीनों ही पक्षकारान तीन हिस्सों में काबिज होकर अलग अलग हिस्से मेंउपयोग उपभोग किया जा रहा है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में सयुंक्त खातेदारी में दर्ज होने से भूमि के विकास एंव लगान आदि जमा करानें की सुविधा की दृष्टि से भूमियों का विधिवत् विभाजन कराया जाना आवश्यक है। जिसके लिए कब्जे अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन के लिए कहा गया तो दिनांक 02/12/2016 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमियों का विभाजन कराने से इन्कार करते हुऐ जबरन वादी के कब्जे आधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने की धमकियां दी गई जिससे वादी के लिए उक्त वाद बाबत् विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया हैं। प्रतिवादी सख्या 01 व 02 झगडालू किस्म के बदमाश व्यक्ति है। जो अविभाजित भूमि होने से ताकल क बल पर वादी के हिस्सो पर भी आधिपत्य करने पर आमादा हो रहे है जिससे जब तक भूमियों का विभाजन नही हो तब तक वादी को अपने हिस्से के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नही करे इस हेतू उन्हे निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबधित कराया जाना आवश्यक है अन्यथा वादी को गंभीर अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी

2/[signature]

...कलक्टर
...खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

भी रूप में की जानी असम्भव है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 02/12/2016 को भूमि का विभाजन करने से इन्कार कर मौके पर जबरन वादी के हिस्से पर कब्जा करने की धमकियां दी गई, जिससे वादी का वाद हेतूक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या0 4 भूमि धारक होने से एंव विभाजन का वाद होने से वाद मे पक्षकार बनाया गया है अन्य कोई दाद उनके विरूद्ध नही चाही गई है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि ग्राम रामपुरिया पटवार क्षेत्र खण्डेल की कृषि आराजी संख्या 142 रकबा 09-02 बीघा का कब्जे अनुसार विभाजन फरमाते हुए वादी का 1/3 हिस्सा स्वतंत्र रूप से वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र दर्ज फरमाया जावे। एंव स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे। तदनुसार विभाजन की प्राथमिक एंव अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावे। विभाजन के पश्चात वादी को प्राप्त होने वाली भूमि के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण कोई बाधा हस्तक्षेप या दखलन्दाजी कारित नही करे इस हेतू इनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा प्रतिवादी संख्या 04 भूमि धारक होकर उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत था कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत लापस्या पर रखा गया। दौराने शिविर वादी स्वयं उपस्थित तथा तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रकरण में विभाजन फहरिस्त तैयार की जाकर मय अनुशंषा के प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

...क कलक्टर
...ड अधिकारी)
...लमगरा

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	गोपाललाल पिता नानूराम तेली सा0 लापस्या खातेदार	142/1	02-19	2.05
	योग :–	किता– 01	**02-19**	**2.05**
2.	जसु पिता भेरा, गंगाबाई पिता भेरा, देउबाई पति स्व0 भेरा 1/2, छोगालाल, शंकरलाल पिता वरदा 1/2 गाडरी सा0 जूणदा खातेदार	142 मीन	06-03	4.11
	योग :–	किता– 01	**06-03**	**4.11**

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :– 09/2017

अनवान

वादीगणः–

1. गोपाल लाल पिता नानूराम तेली निवासी लापस्या तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. छोगालाल पिता वरदा गाडरी निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा
2. शंकरलाल पिता वरदा गाडरी निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा
3. गंगाबाई पिता भेरा पत्नि चुन्नीलाल गाडरी निवासी जुणदा हाल निवासी नया दरीबा तहसील रेलमगरा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील रेलमगरा

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– अधिवक्ता रोशनलाल साहू
प्रतिवादी की ओर से :–

में इस आशय मे दिनांक 02/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरिया के आराजी नंबर 142 रकबा 09–02 बीघा का तहसीलदार

[signature]

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	गोपाललाल पिता नानूराम तेली सा0 लापस्या खातेदार	142/1	02-19	2.05
	योग :–	किता– 01	**02-19**	**2.05**
2.	जसु पिता भेरा, गंगाबाई पिता भेरा, देउबाई पति स्व0 भेरा 1/2, छोगालाल, शंकरलाल पिता वरदा 1/2 गाडरी सा0 जूणदा खातेदार	142 मीन	06-03	4.11
	योग :–	किता– 01	**06-03**	**4.11**

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 02/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा